कार्यालय प्राचार्य,शासकीय शहीद गेंदसिंह महाविद्यालय, चारामा
जिला–उ. ब. कांकेर (छग.)

AISHE Code : C-24958 **College Code : 2105**

Website : www.govtcollegecharama.in **Email : gccharama1989@gmail.com**

पत्र क्र. 146 /स्था/2024 चारामा, दिनांक : 15 / 07/2024

।। अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन।।

कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय,इन्द्रावती भवन,नवा रायपुर,अटल नगर के पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज.स्था/2024 नवा रायपुर,अटल नगर,दिनांक 06/07/2024 के अनुसार अनुपालन में शासकीय शहीद गेंदसिंह महाविद्यालय चारामा,जिला–उ.ब.कांकेर(छ.ग.) में सहायक प्राध्यापक/ ग्रंथपाल के रिक्त पदो के विरूद्व सत्र: 2024–25 में अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक/अतिथि ग्रंथापाल/ ग्रंथालय सहायक के नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी दिनांक 26/07/2024 सांय 05:00 बजे तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक अथवा स्वंय उपस्थित होकर जमा कर सकते है। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। संपूर्ण योग्यता तथा चयन प्रक्रिया "अतिथि व्याख्याता नीति–2024" के परिपालन में किया जायेगा। अतिथि व्याख्याता नीति–2024 का अध्ययन महाविद्यालय के वेबसाइट (Website : *www.govtcollegecharama.in*)से किया जा सकता है। रिक्त पदों का विवरण निम्नानसुार है :–

क्रमांक	विषय	पदनाम	रिक्त पदो की संख्या
1	अंग्रेजी	सहायक प्राध्यापक	01
2	अतिथि ग्रंथपाल		01

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीडा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानो के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयो मे कार्य करने के लिए बिन्दु–1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदको को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओ से अंग्रेजी माध्यम मे संवाद कर पाठ्य–विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने मे सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

प्राचार्य

Principal
Govt.Shaheed Gendsingh College Charama
Distt.-Uttar Bastar Kanker(C.G.)

शर्तें :–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण–पत्र,10वी.,12वी.,स्नातक,स्नातकोत्तर,सेट/नेट,एम.फिल./पी–एच.डी.अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 26/07/2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वंय उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है,प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकर किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकर करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 27/07/2024 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 30/07/2024 तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 31/07/2024 को किया जावेगा,जिसका अवलोकन महाविद्यालस की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्व पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही संबंधित के विरूद्व पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्वशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है,तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ)	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30,000/–प्रतिमाह अधिकतम)
(ब)	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35,000/–प्रतिमाह अधिकतम)
(स)	दैनिक मानदेय		
5	**विवरण**	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीडा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/–प्रतिदिन (40,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/–प्रतिदिन (30,000/–प्रतिमाह अधिकतम)

Principal
Govt.Shaheed Gendsingh College Charama
Distt.-Uttar Bastar Kanker(C.G.)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य शासकीय शहीद गेंदसिंह महाविद्यालय चारामा,जिला : उ.ब.कांकेर,पिन कोड –494337 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए/अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत,यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी,जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य प्रवेश,परीक्षा,छात्रसंघ चुनाव,योजनाओं का संचालन,साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम,क्रीडा गतिविधियां,युवा उत्सव,आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन,नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणित सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे।

प्राचार्य
शासकीय शहीद गेंदसिंह महाविद्यालय चारामा
जिला– उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

Principal
Govt. Shaheed Gendsingh College Charama
Distt.-Uttar Bastar Kanker(C.G.)